पटना में दिनांक–12 मई, 2023 शुक्रवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मियों के उपादान की राशि (दस लाख रूपये) करने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	कृषि रोड मैप 2023–2028 का 162268.78 करोड़ (एक लाख बासठ हजार दो सौ अड़सठ करोड़ अठहत्तर लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

3.	साईबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाने एवं इनकी रोकथाम हेतु राज्य के प्रत्येक जिला (रेल सहित) में बिहार पुलिस अन्तर्गत एक–एक कुल–44 साईबर पुलिस थानों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

गृह विभाग

4.	सी०डब्लू०जे०सी० सं०–5807/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.12.2021 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–02.12.2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के फोटो प्रशाखा के लिए सहायक निदेशक (राजपत्रित) का 1 अधिसंख्य पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग

5.	बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन सं०–06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2014 के आधार पर निम्न वर्गीय उत्पाद लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 33 (तैंतीस) अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए निम्नवर्गीय लिपिक उत्पाद का 33 (तैंतीस) अधिसंख्य पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की ऑनलाईन नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करने तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से एकीकृत भू–अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने एवं कार्यान्वयन का कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), रूड़की से कराने हेतु, नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने तथा इस कार्य पर 16,50,00,000.00 (सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र (कर रहित) के व्यय की स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2023–24 में बिपार्ड के पटना परिसर में प्रस्तावित नये भवन (ATI) निर्माण कार्य हेतु कुल ₹72.00 करोड़ (बहत्तर करोड़ रूपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2023–24 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि ₹35,51,05,00,000/–(पैंतीस अरब ईक्यावन करोड़ पाँच लाख रूपये) की सहायक अनुदान मद में स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

9. नालंदा जिला के गिरियक अंचल में जलाशय सुरक्षा हेतु गंगाजल परियोजना ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–46 (छियालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

10. मेसर्स भारत प्लस इथेनॉल प्रा०लि०, बियाडा, बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7(2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

11. राज्य के 27 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का वित्तीय वर्ष 2023–24 से संचालन करने तथा संचालनार्थ कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 1,00,74,18,141/–(रू० एक सौ करोड़ चौहत्तर लाख अठारह हजार एक सौ इकतालिस) मात्र की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

12.	बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधित) नियमावली 2023 को लागू किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण के लिए मुम्बई पत्तन प्राधिकरण के द्वारा एलफिन्सटन एस्टेट (Elphinstone Estate) में प्रस्तावित 2751.69 वर्ग मीटर भूखंड लीज पर लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में भुगतान हेतु रूपये 160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति।	13.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

14.	पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं रख–रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

15.	राज्य आपदा रिस्पौंस बल में संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों की संविदा अवधि के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–1987 दिनांक–24.07.2018 की कंडिका–4(iv) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

16.	सुडान में उत्पन्न वर्तमान संकट के कारण देश के विभिन्न एयरपोर्ट/पत्तन पर आने वाले बिहार के निवासियों को राज्य आने हेतु वायुयान/रेल मार्ग यात्रा का किराया/टिकट की राशि का भुगतान करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–02–112–0002 –जनसंख्या निष्क्रमण मद (राज्य संसाधन) से व्यय किए जाने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

17.	मणिपुर में उत्पन्न वर्तमान संकट के कारण बिहारी छात्रों को सुरक्षित बिहार पहुँचाने हेतु वायुयान/रेल मार्ग यात्रा का किराया/टिकट की राशि का भुगतान करने के निमित स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–02–112–0002 –जनसंख्या निष्क्रमण मद (राज्य संसाधन) से व्यय किए जाने के संबंध में।	17.	स्वीकृत।